न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2016/00234 (47/2016) **दायरा दिनांक : 27.01.2016**

उनवान

कालूराम आयु 55 साल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, जाति तेली, निवासी ग्राम कछावन, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0) ... अपीलांट

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
2. मुकेश पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
3. मूलचन्द पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
4. मुस0 गुलाब बाई बेवा श्री लक्ष्मीनारायण
5. सूरजमल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
6. मुस0 राममूर्ति बाई पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण
7. मुस0 राजू बाई पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण
8. मुस0 कलाबाई पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण
   जातियान साहू तेली, निवासी ग्राम कछावन, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
9. उप-पंजीयक अधिकारी, छबडा, जिला बारां
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा, जिला बारां (राज0)

... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री मदन लाल गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 16.05.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 108/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 से 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कछावन, तहसील छबडा, जिला बारां में भूमि खसरा नम्बर 9/4 रकबा 5 बीघा अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादी/रेस्पोडेंट नम्बर 1 ता 4 की ओर से अपीलांट क्रम 5 ता 10 के विरुद्ध एक उक्त उनवानी वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा द्वारा दिनाक 22.12.2015 को डिक्री किया गया है, तथा ग्राम कछावन, तहसील छबडा की आराजी खसरा नम्बर 9/4 रकबा 5 बीघा में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को क्रमशः 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार के घोषित कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम कछावन, तहसील छबडा की आराजी खसरा नम्बर 9/4 रकबा 5 बीघा पर जो कि शुरू से ही अपीलांट के खातेदारी में है तथा एक मात्र अपीलांट/प्रतिवादी क्रम 1 ही उक्त आराजी का स्वामी है जिसे नजर अंदाज करके विधि विरुद्ध तरीके से वादी/रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 5 व अपीलांट का प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित करने में भारी भूल की है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में तथ्यों व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों को नजर अंदाज करके, प्रतिवादी की साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय पारित कर भारी भूल की है। अस्तु निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक मात्र अपीलांट की खातेदारी की आराजी में रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 5 को भी 1/6–1/6 हिस्सा प्रत्येक का हक होने को घोषणा कर निर्णय पारित करने से भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात की भी सही विवेचन नहीं की गयी है एवं बहनों द्वारा हक त्याग का कथन किया जाने का अंकन करके उस पर बिना साक्ष्य लिये व हकत्याग के दस्तावेज पेश हुये बगैर निर्णय पारित कर भारी भूल की है। पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी मे चल रही थी, साक्ष्य नहीं ली गयी एवं साक्ष्य बंद भी नहीं की गयी है एवं बिना सुनवाई किये वादी से मिली भगत करके विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त आराजी का एक मात्र स्वामी/मालिक व खातेदार अपीलांट ही है अन्य किसी रेस्पोडेंट/वादी को कोई हक नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। वादग्रस्त निर्णय की पालना पर रोक लगाया जाना आवश्यक है अन्यथा अपीलांट को मिलने वाले लाभ से वह वंचित हो जायेगा एवं गलत इन्द्राज हो जाने से रेस्पोडेंट/वादी अपीलांट को काश्त करने से व्यवधान पैदा करेंगे तथा आराजी को रहन–बेचान कर देंगे तो अपीलाण्ट को व्यर्थ ही अनावश्यक श्रृंखलाबद्ध मुकदमों में उलझना पडेगा एवं आर्थिक व मानसिक परेशानी होगी। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा का निर्णय व डिक्री दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

22.12.2015 मिसल नम्बर 108/2008 बउनवान मांगीलाल, मुकेश वगैराह बनाम कालूराम, सुरजमल वगैराह को निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। वादग्रस्त आराजी कालू के खातेदारी की थी। उसने अपने हिस्से को निर्णित कराने हेतु दावा पेश किया था। लक्ष्मीनारायण ने वादग्रस्त आराजी क्रय की थी। कालू लक्ष्मीनारायण का बडा बेटा होने से उसके नाम वादग्रस्त आराजी दर्ज करवायी परन्तु रजिस्ट्री पेश नहीं की। क्रय करने के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किये इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने सभी का हिस्सा डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में निहित थी और लोक अदालत में रखकर प्रकरण का निर्णय कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में हम उपस्थित नहीं हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी का विवेचन दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार नहीं किया है। हमें अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और सुनवायी का अवसर नहीं दिया अतः निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2015 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट मूण्डला में वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, इससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय पक्षकारान की अनुपस्थिति में पारित किया है। लोक अदालत में केवल उन्हीं दावों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्षकारान द्वारा स्वयं उपस्थित होकर दावे के निस्तारण हेतु सहमति राजीनामापेश किया हो। सन्दर्भित दावे में उभयपक्षकारान द्वारा अपने दावे के निस्तारण हेतु सहमति राजीनामा पेश नहीं किया है। सहमति राजीनामे के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट मूण्डला में पारित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया गया निर्णय व डिक्री को लोक अदालत की मूल भावना एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 लोक अदालत की मूल भावना एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2025 को उपस्थिति होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा